

स्पीड पोस्ट

सं. 17-41/2016-अनु.स्था. 754

भारत सरकार

जल संसाधन, नदी विकास एवं

गंगा संरक्षण मंत्रालय

केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड

भूजल भवन

एन. एच. - 4, फरीदाबाद-121001



दिनांक

17/7/17

सेवा में,

श्री श्यामा कान्त राम,
पुत्र स्व राम विलास राम,
ग्राम: विछिया,
पोस्ट: पच्छलिखी,
थाना: दुर्गावती,
जिला: कैमूर (भभूवा), (बिहार)
पिन -821105 ।

महोदय,

आपका पत्र संख्या शून्य दिनांक शून्य के संबंध में पुनः सूचित किया जाता है कि आप नवीन आवेदन पत्र (7th CPC के अनुसार) भरकर व सभी जरूरी कागजात व Annexure-I के साथ सीजीडबल्यूबी, प्रभाग-III, वाराणसी के कार्यालय द्वारा इस कार्यालय में भेजने हेतु जमा कराये व इसकी जानकारी इस कार्यालय को भी दे ताकि आपके नाम पर फिर से विचार किया जा सके परंतु आपने नवीन आवेदन पत्र (7th CPC के अनुसार) भरकर व सभी जरूरी कागजात व Annexure-I के साथ सीजीडबल्यूबी, प्रभाग-III, वाराणसी कार्यालय में जमा नहीं किए। मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन पत्र संख्या 20/55/2005-Admn दिनांक 08.12.2016 के अनुसार ही मेरिट पॉइंट बनाया जाना है। आपके द्वारा जानकारी नहीं दिये जाने के कारण स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक नहीं हो पा रही है। आपके द्वारा दिये गए पुराने आवेदन पत्र पर भी आप आपति दर्ज कर चुके हैं जिसका जबाब आपको इस कार्यालय के पत्र संख्या 17-28/2012-अनु. स्था-75 दिनांक 23.01.2017 द्वारा आपको दिया जा चुका है।

आप से फिर से अनुरोध है कि नवीन आवेदन पत्र (7th CPC के अनुसार) भरकर व सभी जरूरी कागजात व Annexure-I के साथ सीजीडबल्यूबी, प्रभाग-III, वाराणसी के कार्यालय द्वारा इस कार्यालय में भेजने हेतु जमा कराये व इसकी जानकारी इस कार्यालय को भी दे।

भबदीय,

(श्रीकांतन वी)

का/५

प्रशासनिक अधिकारी

प्रतिलिपि:-

- 11 श्रीमान अवर सचिव (सीजीडबल्यूबी), जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, न्यू दिल्ली के पत्र संख्या 22/52/2012-GWE दिनांक 10.07.2017 के संबंध में सूचनार्थ।
- 21 श्रीमान कार्यपालक अभियंता, सीजीडबल्यूबी, प्रभाग-III, वाराणसी को सूचनार्थ व अगली कारवाई हेतु प्रेषित।
- 31 श्रीमान प्रशासनिक अधिकारी (कानूनी कक्ष), केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, मुख्यालय, फरीदाबाद को सूचनार्थ व अगली कारवाई हेतु प्रेषित ।
- 41 श्रीमान System Analyst, सीजीडबल्यूबी, मुख्यालय, फरीदाबाद। आपसे अनुरोध है कि इसे सीजीडबल्यूबी के वेबसाइट पर अपलोड कर दे।

का/५

(श्रीकांतन वी)

प्रशासनिक अधिकारी

का/५
17/7